IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बाल शोषण और दुर्व्यवहार

Dr. Meenakshi

Home Science Department, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

सरकार के महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल शोषण ; भारत 2007 पर में कराये गये अध्ययन से पता चला कि विभिन्न प्रकार के शोषण में पांच से 12 वर्ष तक के छोटे बच्चे और दुर्व्यवहार के सबसे अधिक शिकार होते हैं तथा इन पर खतरा भी सबसे अधिक होता हैं। इन शोषण में शारीरिक एंव यौन और भावनाात्मक शोषण शामिल हैं। जब बच्चो को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताडित किया जाता हैं। उसे **बाल शोषण** कहते हैं। इसके तहत नाबालिक अर्थात 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चे शामिल होते हैं। जब बच्चे डर जाये उन्हें चोट पहुंचाई जाये इस तरह की घटना **बाल शोषण** के दायरे में आति हैं। ऐसी बात घर की चार दिवारी के अंदर ही रहनी चाहिये। इस वाक्य में निहित बहु अर्थी परतों को खोलने की जरूरत हैं। समाज की नजरों में बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण की बातें अगर घर या स्कूल की चारदीवारी में ही रहे तो अच्छा हैं। ऐसी सोच हमारी रही है ताकि न तो स्कूल और ना ही घर की इज्जत खराब हो। बाल यौन शोषण हमारे समाज द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक कुकृत्यों में से सबसे ज्यादा उपेक्षित और हाशिये पर की चिंता हैं। इसे नजरंदाज करने के कारण भारत में बाल यौन शोषण की घटनाऐं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं के विभिन्न आयाम हैं जिसके कारण समाज इसका सामना करने में असमर्थ है। बाल यौन शोषण न केवल पीड़ित बच्चे पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में बाल यौन शोषण के बहुत से मामलों को दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने पर परिवार खुद को असहज महसूस करजा है। इसके बारे में एक सामान्य धारना है कि ऐसी बात घर की चार दिवारी के अंदर ही रहनी चाहिये। बाल यौन शोषण की बात सार्वजनिक हो जाने पर परिवार की गरिमा के खराब होने के बारे में लगातार भय बना रहता हैं। ऐसे में बाल संरक्षण आयोगों की मानें तो बच्चे की पहचान का खतरा बना रहता हैं।

अभी कुछ समय पहले महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एंव ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के विरूद्ध राष्टीय स्तर पर गठबंधन बनाने की घोषणा की। मंत्रालय का उद्धेश्य राष्टीय स्तर पर एक ऐसी व्यापक प्रणाली का विकास करना है,जिससे बच्चों के माता पिता स्कूलों,समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय सरकारों के साथ साथ पुलिस व वकीलों कों भी शामिल किया जाना हैं। ऐसी व्यापक प्रणाली की आवश्यकता इसलिय हैं ताकि बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकार के संबंध में निर्मित सभी वैधानिक नियामकों, नीतियों, राष्टीय रणनीतियों एवं सटीक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना संभव हो सके।

2002 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम उम्र के 7.9 प्रतिशत लड़के एवं 19.7 प्रतिशत लड.कियॉ यौन हिंसा की शिकार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2011 में बाल यौन शोषण के 33,098 मामले दर्ज किये गए। भारत में प्रत्येक 155 मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटे पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का बलात्कार होता है। यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच किशोरियों पर किये गये अध्ययन के ऑकड़े बताते हैं कि भारत की 10 प्रतिशत लड़कियों को जहॉ 10 से 14 वर्ष से कम उम्र में यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा वहीं 30 प्रतिशत नें 15 से 19 वर्ष के दौरान यौन दुर्व्यवहार झेला। 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 13 राज्यों पर किये गये अध्ययन में 21 प्रतिशत लोगों ने बचपन में गभीर यौन शोषण की बात स्वीकारी। वैसे बाल शोषण करने बाले अपराधियों में केवल पुरूष ही नहीं, बल्कि कम अनुपात के साथ महिलाऍ भी शामिल हैं। बाल शोषण की समस्या विकराल रूप ले चुकी हैं। यह केवल देश नहीं बल्कि विदेशों में भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कहतें हैं समाज में व्यापत हर बुराई के पीछे का कारण शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन पुराने जमाने से अब तक शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन उसके साथ ही इस बाल शोषण ने भी अपने पैर तेजी से फैलाये हैं। यह आधुनिक समाज की गंभीर बीमारी हैं, जिसकी गिरफत में मासूमों की खुशियॉ, उनकी सुरक्षा हैं।

बाल शोषण की शुरूवात एवं उत्तपत्ति का कारण

इसकी शुरूवात 1920 में ही हो चुकी थी लेकिन अब तक इस पर खुल कर चर्चा नहीं की जाती। यह समस्या भारत की ही नहीं हैं यह सभी देशो का अहम मुद्दा है। भारत में यौन संबंधी बातों पर खुल कर कहना अपराध एवं शर्म की विषय समझा जाता है, इसलिए बच्चे बता भी दे तो माता पिता ऐसी घटनाओं को छिपा जाते हैं, ऐसे में बच्चों को सही सलाह एवं हिम्मत ना मिलने केउ कारण यह अपराध बढ़ता ही जा रहा हैं, और यही इसके व्याापक होने का कारण हैं।

बाल दुर्व्यवहार क्या हैं ?

- बच्चों के साथ शारीरीक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। हालॅांकि हम बाल दुर्व्यवहार में सामान्यतः यौनिक एवं शारीरिक शोषण को ही शोषण समझते हैं, जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों केउ मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।
- बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आघात तक ही सिमटा नहीं है बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिये मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाने के लिये चॉकलेट, पैसे, आदि का प्रलोभन देना चाइल्ड पोनोग्राफी बनाना आदि बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं।

कौन करते हैं बाल दुर्व्यवहार ?

- अक्सर इसमें शामिल व्यक्ति हमारे आस पास के रिश्तेदार, पड़ोसी होते हैं, जिनकी हरकतों से उनके कृत्यो का पता लगाना कठिन होता है।
- कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते करते कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर दुर्व्यवहार होता है। जिसमें कई बार माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी व कोच भी संलिप्त रहते हैं।

बाल दुर्व्यवहार क्यो होता है ?

- कई बार व्यक्ति अपनी दबी यौन कुंठा एवं मनोविकार से ग्रस्त होने के कारण ऐसा करता है।
- तो कई बार पारिवारिक कलह, पुत्र प्राप्ति का अवसाद, पीढ़ीगत दुरी के कारण भी बच्चों के स्वास्थ्य,शारीर व गरिमा को क्षति पहुँचाया जाती है। जिसमें बेवजह बच्चों को पीटना, तेजी से झकझोरना, खिल्ली उड़ाना, उपेक्षा करना शामिल है।
- बच्चे न तो मजबूत प्रतिरोध कर पाते हैं और ना हीं उनमें यौन चेतना का विकास होता हैं। जिससे वे ऐसे अपराधियों के लिये साफट टारगेटस बन जाते हैं।
- हालॅांकि ऐसे पीड़ित बच्चों में लड़के एवं लड़कियॅा दानों निशाना बनते हैं, लेकिन सामान्यतः इसमें लड़कियों का अनुपात अधिक होता हैं।

बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के परिणाम

- निःसंदेह बाल बाल यौन शोषण एक जघन्य कृत्य है। इसमें बच्चे के अवचेतन मन में अनजाना सा डर घर कर जाता है और वे अवसाद बुरे सपने, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास की कमी, बिस्तर गीला करना, अनिद्रा जैसे मनोविकारों से ग्रसित हो जाते हैं।
- मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला यह शोषण बच्चे के अंतः मन में गहरा बैठ जाता है, जो धीरे धीरे समय के साथ कुंठा बनकर दुसरों के साथ यौन शोषण करने के लिये प्रेरित भी करता है। यह मनोविकार उसके जीवन का हिस्सा बन कर एक अपराधबोध का बोझ बन जाता है। जिस रिण बच्चें कई बार बड़े होने पर भी इस मानसिक ग्लानि से उबर नहीं पाते।

बाल यौन शोषण के विरूद्ध कानून

- बाल अधिकार की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट का बाल अधिकार कन्वेंशन एक अंतराष्टीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिये बाध्य करता है।
- भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून हैं। इसमें अपराधों को चिन्हित कर उनके लिये सख्त सजा निर्धारित की गई है। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिये कोर्ट का भी प्रावधान हैं।
- यह कानून बाल यौन शोषण के इरादों को भी अपराध के रूप में चिन्हित करता है तथा ऐसे किसी अपराध के संदर्भ में पुलिस मीडिया एवं डॉक्टर को भी दिशानिर्देश देता है।

- वैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 375बलात्कार, 372 वेशयावृति के लिये लड़कियों की बिक्री, 373 वेश्यावृति के लिये लडकियों की खरीद तथा 377 अप्राकितक कृत्य के अंतर्गत यौन अपराधों पर अंकुश लगााने हेतु सख्त कानून का प्रावधान है।

बाल यौन शोषण के विरूद्ध वैधानिक प्रावधानों की सामाऍं

- धारा 375 में बालात्कार को आपराधिक कृत्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। किन्तु अस धारा के कुछ प्रावधान व व्याख्या संर्कीण है। इसमें छेड़ छाड़,गलत तरीकों से छुना, देर तक घरना तथा उत्पीड़न आदि के संर्दभ में स्पष्ट प्रावधानों दकी कमी नजर आाती है। जबकि इस प्रकार के कृत्यों पीड़ित को मानसिक तथा भावनात्मक रूप से गहरे आघात पहुँचाते हैं।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत ऐसे संबंध जिनमें यदि व्यक्ति 15 वर्षीय पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है।

आगे की राह

- वैसे तो भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार केउ खिलाफ व्यापक कानूनी ढ़ाचा है। किंतु इतने कानूनी एवं योजनाओं के बावजूद इनकी तकनीकी चुक तथा इनके कार्यान्वयन में अनियमितता त्वरित कार्रवाई न होने के कारण ये घटनाऍं होती हैं।
- इसके लिये जरूरी है सजगता एवं जागरूकता। ऐसे में जरूरी है कि प्राथमिक स्तर पर घर परिवार माता पिता एवं परिजन बच्चों से मिलने वालों एवं उनके साथ खेलने वालों के प्रति सजग रहे वही बच्चों को भी असामान्य व्यवहार के प्रति सजग रहने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
- स्कूलों में जहॉ अनिर्वाय मनोवैज्ञानिक कैंप होने चाहिये, तो वहीं डॉक्टर, मीडिया व पुलिस को भी इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिये।
- इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के अश्लील सामग्री पर अविलंव रोक लगानी चाहिये। वही इंटरनेट साइटस पर पैरेंटल कंटोल के विकल्प का मजबूत करना चाहियें।

बाल शोषण के प्रकार क्या क्या हैं ?

- **मनसिक प्रताड़ना :** जब किसी बच्चे से ऐसी बाते की जाती हैं जो उन्हें मानसिक तनाव देता हैं या उन्हें डराता हैं, वे सभी मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत शामिल हें। बच्चों से अनुचित बाते करना, उन्हे किसी चीज से डराना, उनके मन में भय पैदा करना ये सभी अपराध हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती हैं।
- **शारीरिक प्रताड़ना :** जब किसी बच्चो को अनुचित तरीके से अनुचित जगहों पर छुआ जाता हैं, उन्हें तकलीफ पहुॅचाई जाती हैं या उन्हें मारा जाता हैं, वे सभी शारीरिक प्रताड़ना में शामिल हैं। इस दिशा में बच्चों को शिक्षित करना आवश्यक हैं, ताकि वे इस शोषण का समझ सके।

बच्चो पर इसका प्रभाव

- जो बच्चे इस शोषण सेउ ग्रसित होते है, वो या तो बहुत डरे हुये होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सेल और चिड़चिड़े हो जाते हैं।
- कुछ बच्चे बहुत ही शर्मीले हो जाते हैं, किसी से बात करने में खुद को असहज महसूस करते हैं, कम बोलते हैं।
- कई बार बच्चे बहुत बतमीज हो जाते हैं, उन्हे घर के लोगों से भी एक अजीब सा व्यवहार करते देखा जाता है।
- बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मानसिक रोगी की तरह बतार्व करने लगते हैं, अत्यधिक सोने या खाने भी लगते है।
- ऐसे बच्चेउ आसानी से आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं जैसे चोरी करना, मारना,पीटना अथवा डग्स आदि का सेवन करने लगना।

वे सभी कारण जो बच्चे को दूसरे बच्चो से अलग दिखाये, उनके ऐसे बतार्व के पीछे बाल शोषण एक अपराध शामिल हो सकता हैं, इसलिए सभी को इस दिशा में कार्य करने की जरूरत हैं, ताकि बच्चे ऐसी घृणित अपराध का शिकार ना हो।

बाल शोषण रोकने के उपाय

- बल शोषण को रोकने के लिए जरूरी हैं कि बच्चों का सही और गलत का ज्ञान दिया जाये, उनसे इस विषय में खुलकर बात की जाये, ताकि वे इस शोषण को समझ सके और अपनों से कह सके।
- बच्चों को यह ज्ञान होना बहुत आव्श्यक है, कि वो अपने और पराये के अंतर को समझ सके, वैसे यह बहुत मुश्किल हैं क्युकि वयस्क भी कौन अपना कौन पराया का हिसाब सही नहीं कर सकता, तो बच्चों ना समझ होते हैं, पर फिर भी उन्हें कुछ हद ज्ञान देना आवश्यक हैं।
- बच्चों को शारीरिक शोषण को समझने के लिए अच्छे और बुरे टच को महसूस करने का ज्ञान दिया जाना जरूरी हैं।
- बच्चों की बातों को छिपाने के बजाय उसका खुलकर विरोध करे, इससे आपका बच्चा तो आत्मविश्वास महसूस करेगा ही समाज का हर व्यक्ति इससे शिक्षित होगा और अपाराधी अपराध करने से पहले कई बार सोचेगा।
- बाल शोषण से निपटने के लिए आज कल कई तरह की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं जहॉ बच्चों को इस बात की समझ दी जाती हैं और माता पिता को भी सिखाया जाता हैं कैसे बच्चों को खेल खेल में यह सब सिखाये, इसलिए बिना शर्म किए ऐसी क्लासेस का हिस्सा बने और अपने बच्चो को भी वहॉ भेजे।

बाल शोषण से ग्रसित बच्चों को कैसे उभारे ?

दुर्भाग्यवश बच्चा इस बाल शोषण का शिकार हो चुका हैं तो सबसे पहले अपराधी को सजा दिलवाये और उसकी कानूनी कार्यवाही करें बच्चे से अच्छे से बात करने और उसे यकीन दिलवाये, कि वो अब सुरक्षित हैं, यह सभी जल्दसे जल्द खतम कर उसे एक नया और अच्छा वातावरण दे, ध्यान रहे बच्चा इस घटना से सीख तो ले, लेकिन यह घटना उसके मन और दिमाग पर कब्जा ना कर लें, जरूरी हैं कि बच्चा इन बातों के भय से बाहर निकाल कर नार्मल बच्चों की तरह जीवन जिये, और इसके लिए आपको अपने व्यवहार में सावधानी रखनी होगी, क्योकि एक बार अपराध होने के बाद आपउ ऐक्सटा केयर ही बच्चे को वो घटना भूलने ना दे और वो अपने आपको दुसरे बच्चों से अलग समझने लगे, इसके लिये जरूरी हैं कि आप बच्चेको पूरी आजादी के साथ जीवन जीने दें।

बाल शोषण के लिए बने कानून

हमारे देश में महिलाओं के शोषण के लिए बहुत से कानून जा थे, लेकिन बच्चे जो कि 18 से कम आयु के हैं उनके शोषण के पिरूद्ध देशों में कोई बड़ा कानून नहीं था। बहुत सी वारदातों एवं घटनाओं से स्पष्ट हुआ, कि बाल शोषण अपराध भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैं और इनके पीछे ज्यादातर करीबी लोगों का होना पाया गया है, इस कारण 2012 में बाल शोषण के खिलाफ बड़ा कानून बनाया गया, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डन अगेन्स्ट सेक्सुयल ऑफेंस बिल 2011 के रूप में सदन में पारित किया गया। बाद में इसे 22 मई 2012 को एक एक्ट बनाया गया।

बाल शोषण पर अनमोल वचन

- बाल शोषण अशिक्षित समाज की देन नहीं अपितु पढ़े लिखें मॉडन समाज की देन हैं।
- फलों को निहारा जाता हैं उसे कुचलना अपराध है।
- स्वस्थ समाज स्वस्थ बच्चों से हैं, बाल शोषण बच्चों को मानसिक रोगी बना रहा है, भविष्य के लिये इस घृणित अपराध को रोकना हमारा कर्तव्य हैं।
- बचपन जितना बेहतर होगा भविष्य उतना ही उज्जवल बनेगा अतः बाल शोषण जैसे अपराध बच्चों की नींव को कमजोर करते हैं।
- बेहतर समाज बेहतर बहतर बच्चो से बनता है अतः उन्हें स्वस्थ बचपन देना बुजुर्गों का कर्तव्य हैं।

बल शोषण अपराध एक ऐसा अपराध हैं जो भविष्य को अंधकारमय कर सकता हैं। इसके लिए आवाज उठाना अति महत्वपूर्ण हैं।

बाल शोषण पर कविता

मासूम की मासुमियत से भी खेल रही है दुनिया,

जंगली जानवर की जरह झंझोर रही है दुनिया।

इंसानियत पर कोई विश्वास नहीं रह गया,

आज आदि मानव से ज्यादा विचारहीन मानव हो गया।

किसे सिखाऐ इस पढ़ी लिखी दुनिया में,

जब अपना ही लगा गया दाग मासूम के दामन में।

कोई किसी का नहीं रह गया यह कलयुग का दौर है,

संत महापुरूष में भी छिपा यहॉ चोर है।

बाल शोषण के अलावा और भी कई अनराध हैं जो बच्चों से संबंधी होते हैं और वे भी सभी बच्चों के जीवन नकारात्मक प्रभावउ डालते हैं। ऐसे अपराधों में बालश्रम, बाल विवाह आदि आते हैं जो बच्चों की नींव को कमजोर कर उनके भविष्य को खराब करते हैं। इन सबके साथ समाज को लड़ना बहुत जरूरी हैं ताकि समाज का विकास हो सके ।

सन्दर्भ

1. ↑ इस तक ऊपर जायें: अ आ *"बाल योन शोशण्" मेडलाइन प्लस् नेशनल लइबरेरी अफ् मेडीसीन.* 2008-04-02. *मूल से 5 दिसंबर 2013 को पुरालेखित*
2. ↑ *"Guidelines for psychological evaluations in child protection matters. Committee on Professional Practice and Standards, APA Board of Professional Affairs". □□ □□□□□□□*
3. ↑ *Williams, Mike (2019). "The NSPCC's Protect & Respect child sexual exploitation programme: a discussion of the key findings from programme implementation and service use" (PDF). London: NSPCC. (PDF) □□ 29 □□□□□ 2019 □□ □□□□□□□□□□. □□□□□□ □□□□ 29 March 2019.*
4. ↑ *Williams, Mike (March 2019). "Evaluation of the NSPCC's Protect & Respect child sexual exploitation one-to-one work" (PDF). London: NSPCC. □□□ □□ 29 □□□□□ 2019 □□ □□□□□□□□□□ (PDF). □□□□□□ □□□□ 29 March 2019.*
5. ↑ *Williams, Mike (March 2019). "Evaluation of the NSPCC's Protect & Respect Child Sexual Exploitation Group Work Servic" (PDF). London: NSPCC. □□□ □□ 29 □□□□□ 2019 □□ □□□□□□□□□□ (PDF). □□□□□□ □□□□ 29 March 2019.*
6. ↑ *Martin J, Anderson J, Romans S, Mullen P, O'Shea M (1993). "Asking about child sexual abuse: methodological implications of a two stage survey". Child Abuse & Neglect.* ***17*** *(3): 383–92. PMID 8330225. □□□□□:10.1016/0145-2134(93)90061-9.*